२३-२-२१ पत्रावली पेश हुई वकलाय फरिकेन उपस्थित/पत्रावली बहस सुनी जाए आदेश हेतु दि. 4.3.21 को पेश हो।

SDO कोकड़ी

4.3.21 → पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कायरिया की जमाबंदी वाकिंग २०४। का खाता सं. नया-पुराना 57-59 खसरा नं० 1199 रकबा 4-10-00 बीघा का० ३ वादी नाबालिग जरिये वली संरक्षक दादी नन्दू बेवा नृसिंह दास के नाम खातेदारी थी, दिनांक 12-3-2000 को वादी की दादी की मृत्यु के बाद वादी व्यस्क हो गया था बाद में इस आराजी को श्री चारभुजा जी के नाम दर्ज कर दी इसलिए अप्रार्थीगण वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं अतः उन्हे पाबंद किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे न ही ऐसा अवैध कार्य करे जिससे वादी जायदाद से बेदखल हो। अप्रार्थी सं०6 जवाब सरकार में पैरोकार सरकार ने बताया कि वर्तमान में आराजी चारभुजा मंदिर के नाम दर्ज है तथा अप्रार्थीगण ने वादी को कभी भी बेदखल करने की धमकी नहीं दी है आराजी साबिक रिकार्ड यथा मिसल 1358 फसली एकीकरण सं. २०२१-२२ वाकिंग जमाबंदी सं. २०५। में वादी व वादी के पूर्वजो के नाम दर्ज है किन्तु बंदोबस्त विभाग द्वारा वर्ष २००० में राजस्व विभाग को हस्तान्तरित रिकार्ड में प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम मंदिर चारभुजा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:18:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खसरा परिशोधन) खसरा मंगवाये

नाम दर्ज है अतः राजस्व विभाग के खसरा परिशोधन) खसरा मंगवाये जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि हाल खसरा नंबर 1911 किस आधार पर प्रार्थी के स्थान पर मंदिर चारभुजा के नाम दर्ज हुई। अप्रार्थीगण की ओर से मरहूम जमाल के भी अप्रार्थी गण ने प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने का कथन किया है। न कभी धमकी दी है। प्रार्थी को यदि खातेदार घोषित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने वकील पक्षकारान को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनों आवश्यक बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते हैं अतः ग्राम कायरिया की जमाबंदी सं. 2041 के खाता सं. नया पुराना 57-59 खसरा नं. 1199 रकबा 4-10-00 बीघा पर अप्रार्थी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व अवरोध उत्पन्न नहीं करे, न ही ऐसी अवैध कार्यवाही करे जिससे प्रार्थी विवादित आराजी से बेकब्जा हो। यह प्र.पत्र हक अधिकार का अंतिम निर्णायक नहीं है, हक अधिकार का प्रश्न [illegible] मूल वाद से तय होगा, खर्चा [illegible] करे।

आदेश खुले [illegible] में सुनाया गया।

Sd/- [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:18:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner